

आवेदन-पत्र

पुनर्गणना/उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति अवलोकन/पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन पत्र
(Application Form for Retotlling/ Observation of Answer copy/Revaluation)

(Board Regulation 119,148)

हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी परीक्षा वर्ष 2015

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. अनुक्रमांक (Roll No.) <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/> | 2. छात्र का नाम |
| 3. परीक्षा का नाम | 4. मुख्य/पूरक |
| 5. केन्द्र क्रमांक | 6. केन्द्र का नाम |
| 7. संस्था का नाम | |

मैं मण्डल के स्थापित नियमों के तहत अपने निम्नांकित विषय/विषयों की उत्तरपुस्तिका का पुनर्गणना/ उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति/पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन करना चाहता/चाहती हूँ जो निम्नानुसार है :-

क्रं.	विषय	प्राप्तांक	पुनर्गणना रु. 100/- प्रति विषय	उ.पु. छायाप्रति रु. 500/- प्रति विषय	पुनर्मूल्यांकन रु. 500/- प्रति विषय	शुल्क विवरण कुल शुल्क
1			रु.	रु.	रु.	
2			रु.	रु.	रु.	
3			रु.	रु.	रु.	
4			रु.	रु.	रु.	
5			रु.	रु.	रु.	
6			रु.	रु.	रु.	
संबंधित कालम में शुल्क की राशि अंकित करें।			कुल राशि			रु.

शुल्क विवरण

पुनर्गणना हेतु प्रति विषय रु. 100/-

उ.पु. छायाप्रति हेतु प्रति विषय रु. 500/-

पुनर्मूल्यांकन हेतु प्रति विषय रु. 500/-

कुल राशि :-.....

बैंक ड्राफ्ट क्रमांक व दिनांक.....

बैंक का नाम

आवेदक अपना मोबाईल नं. अनिवार्य रूप से अंकित करे :-

आवेदक का हस्ताक्षर

आवेदक का नाम

पिता/पालक का नाम.....

गली/मोहल्ला

ग्राम.....पोस्ट.....

तह.....जिला.....(छ.ग) पिन कोड.....

क्या आप (JEE)2015 IITS, NITS की प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे है ? हाँ/नहीं

टीप :-परीक्षाफल घोषित दिनांक से 15 दिवस के अंदर तीनो प्रक्रिया हेतु (RT/RV/PC) चाहे अनुसार विषयों का चयन उपरांत उपरोक्त प्रारूप में आवेदन कर सकता है।

आवेदक के हस्ताक्षर

घोषणा-पत्र

मैं.....घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने उपरोक्तानुसार विषय/ विषयों में पुनर्गणना/उ.पु. की छायाप्रति/पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। पुनर्गणना/पुनर्मूल्यांकन उपरांत अंको में कमी/वृद्धि जो भी हो मुझे स्वीकार होगा।

घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर

(कृपया आवश्यक निर्देश हेतु पृष्ठ भाग का अवलोकन करें।)

—:: अत्यंत महत्पूर्ण सूचना ::—

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल विनियम 119 उपविनियम (1)(2) तथा (3) एवं विनियम 148 के उपविनियम (1)(2) तथा (3) के अंतर्गत मण्डल द्वारा संचालित परीक्षाओं में पुनर्गणना / उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति अवलोकन / पुनर्मूल्यांकन हेतु अभ्यर्थी ऐसा समझता है, कि उसका उत्तरपुस्तिकाओं की अंको की गणना/मूल्यांकन ठीक प्रकार से नहीं हुआ है, तो परीक्षाफल घोषित दिनांक से 15 दिवस के अंदर तीनों प्रक्रिया हेतु निर्धारित प्रारूप में एक साथ आवेदन कर सकता है। इस हेतु आवेदन पत्र मण्डल मुख्यालय रायपुर, संभागीय कार्यालय बिलासपुर, अम्बिकापुर, जगदलपुर, राजनांदगांव एवं जिले के समन्वय संस्था से निःशुल्क एवं मण्डल की वेबसाइट www.cgbse.net से भी आवेदन प्राप्त किये जा सकेंगे।

पुनर्गणना/उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति अवलोकन/पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया

1. पुनर्गणना हेतु प्रति विषय रु. 100/- उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति अवलोकन प्रति विषय रु.500/- एवं पुनर्मूल्यांकन हेतु प्रति विषय रु. 500/शुल्क निर्धारित है। छात्र चाहे तो तीनों प्रक्रिया हेतु निर्धारित शुल्क के साथ निर्धारित प्रारूप में आवेदन जिले के समन्वय संस्था में जमा कर सकता है।
2. उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति के लिए आवेदन करने वाले छात्रों को पृथक से पुनर्मूल्यांकन हेतु 15 दिवस का समय नहीं दिया जावेगा परीक्षाफल घोषित दिनांक से 15 दिवस के अंदर किसी एक/दोनों/तीनों प्रक्रिया हेतु एक ही साथ आवेदन करना होगा।
3. प्रत्येक उत्तरपुस्तिका का पुनर्मूल्यांकन दो अलग-अलग मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा किया जावेगा। दोनों मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा दिए गये अंको का औसत निकाला जावेगा। यह औसत पूर्व में प्राप्त अंको से 10 प्रतिशत या उससे अधिक अंको की वृद्धि होने पर ही अंक वृद्धि मान्य किया जावेगा।
4. पुनर्मूल्यांकन के परिणाम स्वरूप पूर्व में प्राप्त अंको में वृद्धि/कमी अथवा कोई परिवर्तन न होने पर संबंधित परीक्षार्थी से पुनर्मूल्यांकन हेतु ली गई शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जावेगा।
5. पुनर्गणना के विषयो के प्राप्त अंको में यदि कमी या वृद्धि की स्थिति उत्पन्न होती है, तो परीक्षार्थी को यह स्वीकार करना होगा तदनुसार संशोधित अंकसूची छात्र को निर्गमित की जायेगी।
6. पूरक/अनुत्तीर्ण वाले अभ्यर्थियों को पुनर्मूल्यांकन उपरांत किसी विषय में 10 प्रतिशत या उससे अधिक अंक की वृद्धि होती है, और परीक्षाफल में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ऐसे छात्रों को नवीन अंकसूची प्रदान नहीं की जावेगी।
7. नियमित/स्वाध्यायी/पत्राचार श्रेणी के छात्रों को उत्तीर्ण वाले विषयो में पुनर्मूल्यांकन उपरांत 10 प्रतिशत या उससे अधिक अंक की वृद्धि होती है, तो उन्हें नवीन अंकसूची प्रदान किया जावेगा।

➤ विशेष निर्देश :- अभ्यर्थी पुनर्गणना/उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति/पुनर्मूल्यांकन हेतु एक ही बार (एक साथ) आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है। अतः छात्र पूर्व में ही भली-भांति विचार कर अति आवश्यक प्रक्रिया हेतु आवेदन करें।

1. पुनर्गणना/उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति/पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन पत्र मण्डल मुख्यालय रायपुर संभागीय कार्यालय बिलासपुर, अम्बिकापुर, जगदलपुर, राजनांदगांव एवं जिले के समन्वय संस्थाओं तथा मण्डल के वेबसाइट www.cgbse.net से भी आवेदन प्राप्त कर निर्धारित शुल्क के साथ समन्वय संस्थाओं में जमा कर सकते हैं।
2. अभ्यर्थी को पुनर्गणना/उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति/पुनर्मूल्यांकन के आवेदन पत्र के साथ अंकसूची की छायाप्रति अथवा इंटरनेट से प्राप्त अंकसूची की प्रति जमा करना अनिवार्य है।
3. पुनर्मूल्यांकन उपरांत अंको में 10 प्रतिशत या उससे अधिक अंको की वृद्धि ही मान्य किया जावेगा। 10 प्रतिशत से कम मान्य नहीं होगा। परीक्षार्थी को यह स्वीकार करना होगा।
4. मण्डल द्वारा पुनर्गणना/पुनर्मूल्यांकन के फलस्वरूप संशोधित अंकसूची नियमित छात्रों को संबंधित संस्था में एवं स्वाध्यायी/पत्राचार के छात्रों को परीक्षा केन्द्र में प्रेषित की जावेगी। संबंधित संस्था के प्राचार्य अंकसूची प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर छात्रों से पूर्व की मूल अंकसूची जमा कराकर संशोधित अंकसूची प्रदाय करेंगे।
5. संस्था प्राचार्य /केन्द्राध्यक्ष छात्रों से पुरानी अंकसूची प्राप्त कर मण्डल कार्यालय को प्रेषित करेंगे।
6. अभ्यर्थी आवेदन पत्र में अपना या अपने नजदीकी व्यक्ति का मोबाईल नम्बर अनिवार्य रूप से अंकित करें , पुनर्गणना/पुनर्मूल्यांकन के परिणाम इंटरनेट पर जारी कर मोबाईल पर मेसेज (SMS) के माध्यम से सूचना दी जावेगी। एवं अभ्यर्थी अपना परिणाम मण्डल की वेबसाइट www.cgbse.net पर देख सकेंगे।
7. अभ्यर्थी कृपया निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। एक बार आवेदन प्रस्तुत करने पर यह माना जावेगा कि अभ्यर्थी को समस्त निर्देश स्वीकार्य हैं।

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
रायपुर



छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर

(दूरभाष 0771-3057004, 3057005, फ़ैक्स 0771, 2429385)

क्रमांक / 913 / पुनर्गणना प्रकोष्ठ / 2015

रायपुर, दिनांक 22.4.15

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल विनियम 119 उपविनियम (1)(2) तथा (3) एवं विनियम 148 के उपविनियम (1)(2) तथा (3) के अंतर्गत मण्डल द्वारा संचालित परीक्षाओं में पुनर्गणना / उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति अवलोकन / पुनर्मूल्यांकन हेतु अभ्यार्थी ऐसा समझता है, कि उसका उत्तरपुस्तिकाओं की अंको की गणना / मूल्यांकन ठीक प्रकार से नहीं हुआ है, तो परीक्षाफल घोषित दिनांक से 15 दिवस के अंदर तीनो प्रक्रिया हेतु निर्धारित प्रारूप में एक साथ आवेदन कर सकता है। इस हेतु आवेदन पत्र मण्डल मुख्यालय रायपुर, संभागीय कार्यालय बिलासपुर, अम्बिकापुर, जगदलपुर, राजनांदगांव एवं जिले के समन्वय संस्था से निःशुल्क एवं मण्डल की वेबसाईट www.cgbse.net से भी आवेदन प्राप्त किये जा सकेंगे।

पुनर्गणना/उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति अवलोकन/पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया

1. पुनर्गणना हेतु प्रति विषय रु. 100/- उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति अवलोकन प्रति विषय रु.500/- एवं पुनर्मूल्यांकन हेतु प्रति विषय रु. 500/शुल्क निर्धारित हैं। छात्र चाहे तो तीनो प्रक्रिया हेतु निर्धारित शुल्क के साथ निर्धारित प्रारूप में आवेदन जिले के समन्वय संस्था में जमा कर सकता है।
2. उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति के लिए आवेदन करने वाले छात्रो को पृथक से पुनर्मूल्यांकन हेतु 15 दिवस का समय नहीं दिया जावेगा परीक्षाफल घोषित दिनांक से 15 दिवस के अंदर किसी एक/दोनो/तीनो प्रक्रिया हेतु एक ही साथ आवेदन करना होगा।
3. प्रत्येक उत्तरपुस्तिका का पुनर्मूल्यांकन दो अलग-अलग मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा किया जावेगा। दोनो मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा दिए गये अंको का औसत निकाला जावेगा। यह औसत पूर्व में प्राप्त अंको से 10 प्रतिशत या उससे अधिक अंको की वृद्धि होने पर ही अंक वृद्धि मान्य किया जावेगा।
4. पुनर्मूल्यांकन के परिणाम स्वरूप पूर्व में प्राप्त अंको में वृद्धि/कमी अथवा कोई परिवर्तन न होने पर संबंधित परीक्षार्थी से पुनर्मूल्यांकन हेतु ली गई शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जावेगा।
5. पुनर्गणना के विषयो के प्राप्तान्को में यदि कमी या वृद्धि की स्थिति उत्पन्न होती है, तो परीक्षार्थी को यह स्वीकार करना होगा तदनुसार संशोधित अंकसूची छात्र को निर्गमित की जायेगी।
6. पूरक/अनुत्तीर्ण वाले अभ्यार्थियों को पुनर्मूल्यांकन उपरांत किसी विषय में 10 प्रतिशत या उससे अधिक अंक की वृद्धि होती है, और परीक्षाफल में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ऐसे छात्रो को नवीन अंकसूची प्रदान नहीं की जावेगी।
7. नियमित/स्वाध्यायी/पत्राचार श्रेणी के छात्रो को उत्तीर्ण वाले विषयो में पुनर्मूल्यांकन उपरांत 10 प्रतिशत या उससे अधिक अंक की वृद्धि होती है, तो उन्हें नवीन अंकसूची प्रदान किया जावेगा।

➤ विशेष निर्देश :- अभ्यार्थी पुनर्गणना/उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति/पुनर्मूल्यांकन हेतु एक ही बार (एक साथ) आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है। अतः छात्र पूर्व में ही भली-भांति विचार कर अति आवश्यक प्रक्रिया हेतु आवेदन करें।

1. पुनर्गणना/उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति/पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन पत्र मण्डल मुख्यालय रायपुर संभागीय कार्यालय बिलासपुर, अम्बिकापुर, जगदलपुर, राजनांदगांव एवं जिले के समन्वय संस्थाओं तथा मण्डल के वेबसाईट www.cgbse.net से भी आवेदन प्राप्त कर निर्धारित शुल्क के साथ समन्वय संस्थाओं में जमा कर सकते हैं।
2. अभ्यार्थी को पुनर्गणना/उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति/पुनर्मूल्यांकन के आवेदन पत्र के साथ अंकसूची की छायाप्रति अथवा इंटरनेट से प्राप्त अंकसूची की प्रति जमा करना अनिवार्य है।
3. पुनर्मूल्यांकन उपरांत अंको में 10 प्रतिशत या उससे अधिक अंको की वृद्धि ही मान्य किया जावेगा। 10 प्रतिशत से कम मान्य नहीं होगा। परीक्षार्थी को यह स्वीकार करना होगा।
4. मण्डल द्वारा पुनर्गणना/पुनर्मूल्यांकन के फलस्वरूप संशोधित अंकसूची नियमित छात्रो को संबंधित संस्था में एवं स्वाध्यायी/पत्राचार के छात्रो को परीक्षा केन्द्र में प्रेषित की जावेगी। संबंधित संस्था के प्राचार्य अंकसूची प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर छात्रो से पूर्व की मूल अंकसूची जमा कराकर संशोधित अंकसूची प्रदाय करेंगे।
5. संस्था प्राचार्य /केन्द्राध्यक्ष छात्रो से पुरानी अंकसूची प्राप्त कर मण्डल कार्यालय को प्रेषित करेंगे।
6. अभ्यार्थी आवेदन पत्र में अपना या अपने नजदीकी व्यक्ति का मोबाईल नम्बर अनिवार्य रूप से अंकित करें, पुनर्गणना/पुनर्मूल्यांकन के परिणाम इंटरनेट पर जारी कर मोबाईल पर मेसेज (SMS) के माध्यम से सूचना दी जावेगी। एवं अभ्यार्थी अपना परिणाम मण्डल की वेबसाईड www.cgbse.net पर देख सकेंगे।
7. अभ्यार्थी कृपया निर्देशो को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। एक बार आवेदन प्रस्तुत करने पर यह माना जावेगा कि अभ्यार्थी को समस्त निर्देश स्वीकार्य हैं।

सचिव

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
रायपुर